



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आश्विन 1942 (श10)

(सं0 पटना 717) पटना, सोमवार, 5 अक्टूबर 2020

गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

24 सितम्बर 2020

सं0 निग/सारा-4(पथ)-आरोप-32/2020-5534 (S)—पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ अन्तर्गत IRQP के तहत पलसा-कालीमंदीर से बरैली पथ के कि०मी० 0.00 से 10.00 (P) तक CMBD अन्तर्गत कराये गये कार्यों की उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-3, के द्वारा जाँचोपरांत समर्पित तत्संबंधी प्रारंभिक/गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन की विभागीय तकनीकी समिति के द्वारा समीक्षोपरांत उपलब्ध कराये गये अनुसंशा के अनुरूप आलोच्य पथ में पायी गयी कतिपय त्रुटियों/अनियमितताओं के लिए विभागीय पत्रांक-9584 (S)We दिनांक-18.12.2018 द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में श्री वासुदेव नन्दन, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ सम्प्रति: कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, बाँका के पत्रांक- शून्य दिनांक- 12.07.2019 द्वारा स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया गया।

2. प्रश्नगत मामले में उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा के क्रम में निम्न त्रुटियाँ पायी गयी:-

(i) आलोच्य पथ के कि०मी० 7वें, में कराये गये SDBC Gr-II एवं BM Gr-II कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसतन मात्रा क्रमशः 3.407% एवं 2.76% पाया गया है, जो विभाग द्वारा निर्धारित विचलन के साथ अनुमान्य मात्रा के अनुरूप नहीं है।

3. वर्णित पायी गयी त्रुटियों के संदर्भ में श्री नन्दन द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। जिसके तहत मुख्य रूप से आलोच्य कार्य संपन्न होने के पश्चात् TRI के द्वारा जाँच किये जाने, प्राप्त जाँचफल विश्वसनीय नहीं होने एवं सम्पादित Bituminous परत पर यातायात चालू हो जाने के पश्चात् Wear & Tear के कारण Bitumen में स्वभाविक रूप से कमी होने जैसे संभावनाओं पर आधारित तर्कों का उल्लेख किया गया है।

4. श्री नन्दन के समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री नन्दन के द्वारा जिन व्यवहारिक/तकनीकी तर्कों का संदर्भ दिया जा रहा है, वस्तुतः इन्हीं कारणों से विभागीय मार्गदर्शिकानुसार टॉलरेन्स अनुमान्य किया गया है, परन्तु प्रस्तुत मामले में पायी गई अलकतरा की औसत मात्रा टॉलरेन्स लिमिट से भी कम है। अतएव श्री नन्दन के समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकार योग्य पाया गया।

तद्दालोक में विभागीय स्तर पर की गयी समीक्षा में पाया गया कि श्री नन्दन के द्वारा अपने स्पष्टीकरण उत्तर में कोई ऐसा टोस एवं खंडनयुक्त तथ्य अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिस पर युक्तिसंगत ढंग से विचार किया जा सके जिसके फलस्वरूप उनके स्पष्टीकरण को स्वीकार किये जाने का कोई अवसर प्रतीत नहीं होता है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में विभागीय स्तर पर की गयी समीक्षा के उपरान्त श्री नन्दन के पत्रांक— शून्य दिनांक— 12.07.2019 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर को अस्वीकृत करते हुए सम्यक् विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली-2005) के नियम-14 के उपनियम-V के तहत निम्न शास्ति अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया जाता है।

(1) “दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक”।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(हो) अस्पष्ट,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 717-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>